न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल आर एक्ट संख्या :-52/2018/भीलवाड़ा

1. अमरा पुत्र माना
2. जयराम पुत्र माना

समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुरा जिला भीलवाड़ा

--प्रार्थी

बनाम

1. मोहन पुत्र हीरा
2. देउ बेवा हीरा
3. हरलाल पुत्र भज्जा
4. देवा पुत्र भज्जा

समस्त जाति गुर्जर निवासी मासिंगपुरा तहसील रायपुरा, जिला भीलवाड़ा।

5. छोगा पिता कुशाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी मासिंगपुरा तह0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

––अप्रार्थीगण

उपस्थित अभि0ः–मदनलाल गुर्जर(वकील अपी0)
रेस्पो0 (1 से 5),(एकपक्षीय)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विदवान उपखण्ड अधिकारी रायपुर दिनांक 09.06.2016 प्रकरण संख्या 61/2016 उनवानी मोहन बनाम छोगा में पारित किया गया।

––––––––––––––––––––––––

निर्णय

दिनांक–31.12.2021

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी रायपुर के यहां प्रस्तुत कर ग्राम मासिंगपुरा तहसील रायपुर के खसरा न0 382 रकबा 0.23 हे0 प्रस्तुत कर अपीलांट के साथ सीमा विवाद होने से उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करने बाबत् चाराजोई की उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण [illegible] में नियत करते हुए दिनांक 09.06.2016 को उपखण्ड अधिकारी रायपुर ने प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार कर पत्थरगढ़ी बाबत् आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई। अपील के मुख्य आधार निम्न प्रकार से बताये है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

1. निर्णय दिनांक 09.06.2016 न्याय,नियम एवं रिकोर्ड के विपरित है।
2. अपीलांट को सुना नहीं गया और सरसरी तौर पर एक तरफा निर्णय किया गया।
3. तहसीलदार की रिपोर्ट मंगवायें बिना निर्णय दिया गया।
4. पक्षकारो के बीच एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रायपुर के अधीन है जिस पर निर्णय होना अभी बाकी है।
5. रेस्पो0 ने असत्य एवं निराधार आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय प्राप्त किया।
6. उपखण्ड अधिकारी ने धारा 111 एवं 128 के प्रावधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त सभी कारणो के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रायपुर का निर्णय दिनांक 09.06.2016 को खारिज किया जाये।

साथ में अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी के एकतरफा निर्णय की जानकारी उसको दिनांक 11.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त हुई। दिनांक 12.06.2018 को नकल हेतु आवेदन दिया तथा दिनांक 19.06.2018 को नकल प्राप्त की तथा दिनांक 28.06.2018 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी। अपील को अंदर मियाद मानते हुए देरी को क्षमा किया जाये। इसके समर्थन मे उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत् स्थगन आदेश अपीलांट जयराम द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार अपील की पालना को यदि स्थगित नहीं करवाया गया,तो पत्थरगढ़ी के आदेश की आड़ में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा कर लेगें। जिससे मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना को रोकते हुए राजस्व रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाये। इसके समर्थन में उसके द्वारा एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

अपील न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस एक पक्षीय सुनी गई।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना [illegible] निर्णय किया जाना उचित होगा। प्रार्थी अपीलांट के अनुसार उसे उपखण्ड अधिकारी रायपुर के आदेश दिनांक 09.06.2016 की जानकारी दिनांक 11.06.2018 को पटवार हल्का द्वारा बताने पर हुई। मगर पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड कार्यालय आई एल आर मौखुन्दा तहसील रायपुर के सूचना पत्र दिनांक 10.02.2017 से स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 10.02.2017 को ही हो गई थी। साथ ही मौका पर्चा दिनांक 14.02.2017 जो कि आई एल आर मौखुन्दा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति में बनाया गया था,उसके अनुसार भी पत्थरगढ़ी के समय उक्त अपीलांट मौके पर उपस्थित थे। अतः न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट क्लीन हेंड से नहीं आये है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को न्यायालय उचित नहीं मानता है। प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए खारिज किया जाता है।

अपीलांट का यह कहना है कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 111 एवं 128 का विवेचन किये बिना ही निर्णय किया गया। धारा 111 के अनुसार लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर सीमा विवाद प्रचलित नक्शे के अनुसार करेगा और समरी इंक्वायरी के द्वारा करेगा। धारा 111 में दिये गये निर्णय से व्यथित होने पर व्यथित पक्ष राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 89(बी) के तहत अपनी आराजी की बाउंण्डरी की सीमाओ बाबत् विवाद होने पर वादपत्र पेश कर सकता है। धारा 111 में दिये गये निर्णय के आधार पर सुखाचार व अन्य अधिकार बाबत् वादपत्र लाने से मनाही नहीं की गयी है। धारा 128 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार सर्वे और रिकोर्ड ऑपरेशन के दौरान सीमा विवाद के प्रश्न धारा 111 के तहत निपटाए जाते है। रिकोर्ड ऑपरेशन के पुरा होने के बाद पूर्व में इस कार्य बाबत् शक्ति तहसीलदार और ग्राम पंचायत को दी गई थी। जो नोटिफिकेशन दिनांक 05.11.1973 उपखण्ड अधिकारी को लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर की हैसियत से दी गई थी। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 09.06.2016 को देखा गया। उसके अनुसार प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात के चारों तरफ सीमा के मुस्तकिल निशानात के नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजीयात में मवेशी चराने, फसल काश्त करने, घास काटने पर विपक्षीगण से विवाद बना रहता है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में दखल अंदाजी करते रहते है। अतः पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण को पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु बार–बार निवेदन करने पर भी टालमटोली करते रहे। अतः प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा। विपक्षीगण के उपस्थित न होने से (बावजूद तामील) उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त आदेश दिनांक 09.06.2016 जारी किया गया। मगर यह जो आदेश जारी किया गया है वह लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 के तहत किया गया है। लोकआदालत में मुख्य रूप से इस आधार पर फैसला लिया जाता है कि किसी विवाद के बिन्दु पर दोनो पक्षों में आपसी सहमति हो। दोनों पक्ष किसी समझौते के स्तर पर हो। परंतु वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी उपस्थित ही नहीं हुए ना ही उनके द्वारा कोई सहमति अथवा राजीनामा किया गया है और उपखण्ड अधिकारी द्वारा इसका निर्णय कर दिया [illegible] जो कि अनुचित है। पत्रावली के अवलोकन के स्पष्ट है कि बहुत ही सरसरी तरीके से बिना अपीलांट के बयान दर्ज किये गये। बिना पड़ौसी काश्तकारो के बयान दर्ज किये गये, बहुत शीघ्रता में फैसला किया गया। जो कि अनुचित है। पत्रावली पर शामिल तहसीलदार की पालना रिपोर्ट प्रकरण संख्या 61/2016 निर्णय दिनांक 09.06.2016 को देखा गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त पालना रिपोर्ट जो उपखण्ड न्यायालय में दिनांक 20.02.2017 को प्राप्त हुई है। पत्रावली से संलग्न आई एल

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

आर मौखुन्दा का सूचना पत्र दिनांक 10.02.2017 का अवलोकन किया गया। जिसमें खातेदार एवं पड़ौसी खातेदार को पत्थरगढ़ी के दिन दिनांक 14.02.2017 को उपस्थित करने के लिए कहा गया था। वर्तमान अपीलांट द्वारा सूचना पत्र लिया जाकर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे से मना किया गया। पत्थरगढ़ी के दिन तीनो वर्तमान अपीलांट उपस्थित थे मगर मौके पर्चे की कार्यवाही के समय मौके से चले गए।

वकील अपीलांट ने बहस में मुख्य रूप से तीन बातों पर फोकस करते हुए कहा है कि तामील का अभाव रहा, एक दिन में निर्णय किया गया, सुनवाई स्थल नोटिस में नहीं है।

तामील के बिन्दु पर रिकोर्ड का अवलोकन किया गया– अमरा को तामील हो रखी है। जयराम के लिए लिखा हुआ है कि जयराम बाहर है। नकल उसके सगे भाई अमरा को दी गई है,यह अंकित किया गया है कि ये दोनो एक ही मकान में रहते है। छोगालाल के लिए लिखा है कि वह बाहर है। नकल उसके बालिग पुत्र सुवालाल को दी गई है और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये गये है। उपरोक्तानुसार तीनों अपीलांट की तामील सम्यक रूप से करवायी गई है। अपीलांट का यह कहना है कि तामील नहीं हुई है गलत है। तामील वयस्क सदस्यों को हुई है।

अधनीस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा गया। दिनांक 31.05.2016 को ऑर्डरशीट पर ''पत्रावली पेश हुई, वादे/वादीगण का वादपत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र का अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी/विपक्षीगण को संबंध में नकल जारी की गई। पत्रावली वाद तामील तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 09.06.2016 मुकाम पीथा का खेड़ा पेश हो।''

दिनांक 09.06.2016 में ''पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र पीथा का खेड़ा पेश हुई, पत्थरगढ़ी का निर्णय पृथक से लिखा जाकर पारित किया गया, वाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो, निर्णय सुनाया गया''। यह सही है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा मात्र दो तारीखों में ही निर्णय कर दिया गया है।

हेतुक दर्शित करने के लिये सूचना पत्र को देखा गया जो कि रीडर उपखण्ड अधिकारी रायपुर के हस्ताक्षर एवं मोहर से दिनांक 31.05.20[illegible] जारी किया गया था। उक्त सूचना पत्र में प्रकरण संख्या 61/2016 पक्ष[illegible] के नाम, पते दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र की नकल संलग्न कर भेजी गई थी जिसमें पीथा का खेड़ा कैम्प में दिनांक 09.06.2016 को स्वयं या अपने वकील के द्वारा उप[illegible] होने बाबत् निर्देश का अंकन किया हुआ है। अतः वकील अपीलांट की यह बात गलत है कि सुनवाई स्थल का नोटिस में अंकन नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। जिसमें अपीलांट ने पत्थरगढ़ी पालना को स्थगित करने हेतु तथा आराजी की मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया था। मगर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार दिनांक 14.02.2017 को ही खसरा न0 382 रकबा 0.32 हे0 की पत्थरगढ़ी करवा दी गई। अतः उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार खारिज किया जाता है।

वकील अपीलांट के अनुसार सीमा विवाद से संबंधित एक रेगुलर राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रायपुर में विचाराधीन बताया गया है। जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अपीलांट वहां अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधारा पर स्पष्ट है कि अपीलांट को उपखण्ड न्यायालय के प्रकरण संख्या 61/2016 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट में तामील करवायी गई थी तथा एक ही मकान में रहने वाले भाई अथवा वयस्क पुत्र को तामील करवायी गई थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अवधि अधिनियम धारा 5 में क्षमा को देरी करने हेतु योग्य नहीं पाया गया। अपीलांट द्वारा तथ्यों को छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है,जो कि उचित नहीं है। अपीलांट क्लीन हेंड से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। पत्थरगढ़ी के आदेश की पालना दिनांक 14.02.2017 को ही हो चुकी है तथा दोनों पक्षकारों के मध्य धारा 183,188 आर टी एक्ट के तहत विचाराधीन भी है। अतः उपरोक्त आधारों पर न्यायालय अपील को सारहीन मानते हुए खारिज करना उचित पाता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी को भविष्य मे ओर सजगता से कोर्ट कार्य निस्तारण हेतु सुझाव दिया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

अपील द्वारा अपीलांट विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी न्यायालय रायपुर प्रकरण संख्या 61/2016 दिनांक 09.06.2016 ग्राम मासिंगपुरा, पटवार मण्डल मौखुन्दा तहसील रायपुर को सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 31.12.2021 को उक्त आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh
Rathore
Date: 2022.02.10 10:49:09 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर